पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 278/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 07.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक- 07.09.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाहियां की गयीः-

01-थाना-निजामाबाद, आजमगढ़ : किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– अवगत कराना है कि दिनांक 01.09.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि अभिनय निवासी मदारडाड थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ वादिनी की पुत्री को बहला फुसला कर अगवा कर लिया है। जिसके सम्बन्ध में थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0- 426/24 धारा 137(2),87 BNS बनाम अभिनय पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 प्रमोद सिंह द्वारा प्रारम्भ की गयी। विवेचना के क्रम में पीड़िता की बरादमगी, मेडकिल व मा0 न्यायालय के समक्ष बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) BNS व धारा 4(2)पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त आजम पुत्र मुन्ना निवासी श्रीनगर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया और अभिनय की नामजदगी गलत पायी गयी।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 07.09.2024 को उ0नि0 प्रमोद सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त आजम पुत्र मुन्ना निवासी संघईपुर(श्रीनगर) थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को रानी की सराय बाईपास से समय करीब 10:00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 294/22 धारा 352,504,506 IPC थाना निजामाबाद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 569/23 धारा 341,354,504,506 IPC व 3(1)(घ),3(1)(द), 3(2)(va) SC/ST Act थाना निजामाबाद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 प्रमोद सिंह, हे0का0 परमात्मा यादव, का0 इन्द्रकुमार पटेल थाना निजामाबाद, आजमगढ़।

02-थाना कन्धरापुर, आजमगढ़ : चोरी की घटनाएं कारित करने वाला गैंगेस्टर और हिस्ट्रीशीटर अपराधी गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में; चोरी के जेवरात व अवैध तमन्चा-कारतूस बरामद।

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 21.06.2024 को वादी मुकदमा सच्चिदानन्द गुप्ता पुत्र हरिकिशुन गुप्ता थाना कन्धरापुर ग्राम देवखरी (किशुनदासपुर 2) थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 20.06.2024 की रात्रि में वादी के दरवाजे का ताला तोडाकर अज्ञात व्यक्ति ने घर के गहने सोने का हार, कड़ा-चुडिया-कान की बाली, छुमका, चेन अगुठी, चान्दी के अन्य गहने तथा 35000/ हजार रुपये नगद आदी चोरी कर लिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 174/24 धारा 457, 380 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 18.08.2024 को वादिनी मुकदमा मनीषा राय W/O सचिन राय ग्राम हरैया थाना कोतवाली जिला आजमगढ हाल मुकाम ग्राम महराजपुर (सेहदा अनवरगंज) जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 17.08.2024 को अपनी नानी के घर अनवरगंज गये थे, घर आये तो देखा कि घर के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में रखा हुआ व जेवरात अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 229/2024 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दौरान विवेचना उपरोक्त मुकदमों में अभियुक्त 1- रामचेत निषाद पुत्र मोतीलाल निषाद ग्राम भोर्रामकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र 40 वर्ष व 02 बाल अपचारियों का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा चोरी की घटनाओं पर के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.09.2024 को व0उ0नि0 रमेश कुमार, उ0नि0 अमित कुमार पाल, उ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंह मय हमराह द्वारा क्षेत्रभ्रमण के दौरान ग्राम करेन्हुआ मार्ग से अभियुक्त रामचेत निषाद पुत्र मोतीलाल निषाद निवासी भोर्रा मकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 40 वर्ष व 02 बाल अपचारियों को समय करीब 03.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के पास से 03 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 01 जोड़ी बिछुवा (सफेद धातु), 01 चैन (सफेद धातु), 01 बिस्कुट (सफेद धातु), 01 सिक्का (सफेद धातु), 650/रूपये नगद तथा अभियुक्त रामचेत निषाद के पास से 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ जिसके आधार पर रामचेत निषाद के विरुद्ध मु0अ0सं0- 251/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त/बाल अपचारियों को मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

गिफ्तार अभियुक्त-

1. रामचेत निषाद पुत्र मोतीलाल निषाद ग्राम भोर्रामकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र 40 वर्ष **(H.S. 52A)**

2. बाल अपचारी 02 नफर

आपराधिक इतिहास-

रामचेत निषाद

1.मु0अ0सं0 115/20 धारा 379/411 भादवि थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
2.मु0अ0सं0 06/21 धारा 379/411 भादवि थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 06/22 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
4.मु0अ0सं0 186/22 धारा 25(1-ए)/3 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 50/23 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0- 337/23 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 278/23 धारा 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0 278/23 धारा 8/20 NDPS थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
9. मु0अ0स0 174/2021 धारा 457/380/411 भादवि थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
10. मु0अ0स0 229/2024 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
11. मु0अ0स0 251/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ।

बरामदगी-

03 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 01 जोड़ी बिछुवा (सफेद धातु), 01 चैन (सफेद धातु), 01 बिस्कुट (सफेद धातु), 01 सिक्का (सफेद धातु), 650/रूपये नगद

01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर (अभियुक्त रामचेत निषाद से)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>- व0उ0नि0 रमेश कुमार, उ0नि0 अमित कुमार पाल, उ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंह, हे0का0 सुरेन्द्र शर्मा, का0 अमित कुमार जायसवाल, का0 उपेन्द्र कन्नौजिया, का0 विजय कुमार यादव, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ ।